



चलो तम्बाकू मुक्त स्कूल बनाये



तम्बाकू मुक्त स्कूल के ९
मापदंड



SALAAM
MUMBAI
FOUNDATION



SALAAM
MUMBAI
FOUNDATION



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार ने तम्बाकू मुक्त स्कूलों के लिए ९ मापदंड पारित किए हैं।

१ (अ) शैक्षणिक संस्थान के परिसर के अंदर 'तम्बाकू मुक्त क्षेत्र' साइनेज का प्रदर्शन प्रमुख स्थान पर किया जाना चाहिए।

१ (ब) नाम / पद / संपर्क नंबर का उल्लेख साइनेज बोर्ड पर होना चाहिए।



TOBACCO FREE AREA
Tobacco Use here is a Punishable Offence

If you see any violation, please report to -

Name _____

Designation _____

Contact No. _____

OR

Call at Quitline Number – 1800-112-356 (Toll free)

60 CM

45 CM



तम्बाकू मुक्त परिसर

इस परिसर में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करना दंडनीय अपराध है

उल्लंघन पाये जाने पर निम्न अधिकारी को सूचित करें :-

नाम _____

पदनाम _____

मोबाइल नंबर _____

या

क्विट लाइन नंबर - 1800-112-356 पर कॉल करे (टोल फ्री)

६० सेंमी

४५ सेंमी

२ (अ) प्रवेश / सीमा पर " तम्बाकू मुक्त विद्यालय " साइनेज का प्रदर्शन
शैक्षणिक संस्थान की बाहरी दीवार पर होना चाहिए।

२ (ब) नाम / पद / संपर्क नंबर का उल्लेख साइनेज बोर्ड पर होना चाहिए।

TOBACCO FREE EDUCATIONAL INSTITUTION

Sale of cigarettes and other tobacco products in an area within radius of one hundred yards of this educational institution is strictly prohibited and is a punishable offence.

If you see any violation, please report to –

Name _____

Designation _____

Contact Person _____

OR

Call at Quitline Number – 1800-112-356 (Toll free)

By Order

45 CM

60 CM

तम्बाकू मुक्त विद्यालय

शिक्षण संस्थान के १०० गज के दायरे में सिगरेट या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचने की सख्त मनाई है और दण्डनीय अपराध है

उल्लंघन पाये जाने पर निम्न अधिकारी को सूचित करें :-

नाम _____

पदनाम _____

संपर्क _____

किंवा

क्रिटलाइन नंबर -1800-112-356 वर कॉल करा (टोल फ्री)

हुकुमावरून

४५ सेंमी

६० सेंमी

३. शैक्षणिक संस्थान परिसर में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए , अर्थात सिगरेट / बीड़ी के टुकड़े या गुटका / तम्बाकू के पाउच, दीवारों पर थूकने के निशान नहीं होने चाहिए।

NOTE : आपके शैक्षणिक संस्थान की १०० गज की तस्वीर और हेडमास्टर द्वारा स्कूल के लेटरहेड पर हस्ताक्षर और स्टाम्प वाला घोषणापत्र ।



घोषणापत्र तम्बाकू मुक्त स्कूल परिसर

हमारा _____ शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक तम्बाकू मुक्त स्कूल अभियान चला रहा है। इसके अनुसार, इस स्कूल परिसर में किसी भी तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं किया जाता। इसके अलावा, सिगरेट / बीड़ी के टुकड़े या गुटखा / तम्बाकू के पाउच, दीवार पर थूकना और विज्ञापन देना प्रतिबंधित है। इस शैक्षणिक संस्थान के परिसर में तम्बाकू के उपयोग का कोई सबूत नहीं है।

मुख्याध्यापक,
हस्ताक्षर और स्टाम्प

४. तम्बाकू के नुकसान पर आधारित पोस्टर या अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की जानी चाहिए।

NOTE : छात्रों को तम्बाकू के दुष्परिणाम, हानिकारक रसायन, COTPA कानून के बारे में जानकारी दे और बच्चों को पोस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें व उन पोस्टर को स्कूल में दर्शनीय भाग में लगाए



५. कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि पिछले ६ महीनों के दौरान कार्यान्वित होनी चाहिए।

NOTE : कोई भी महत्वपूर्ण दिन जैसे जागतिक तम्बाकू निषेध दिन, स्वतंत्र दिवस, जागतिक कर्क रोग दिवस पर पोस्टर पेंटिंग, रैली, रंगोली स्पर्धा आदि में तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों का नियोजन करे।



६. तम्बाकू मॉनिटर्स के नाम, पद और संपर्क नंबर का उल्लेख साइनेज पर किया जाना चाहिए।

NOTE: स्कूल के शिक्षक और बच्चों में से चुने गए मॉनीटर्स का नाम भी साइनेज बोर्ड पर लिखा जान चाहिए।

तम्बाकू मुक्त स्कूल मॉनिटर्स			
स्कूल का नाम : _____ मुख्याध्यापक का नाम : _____			
			
क्र.	तम्बाकू मॉनीटर्स का नाम	पद	फोन नंबर
१	शिक्षक का नाम		
२	शिक्षक का नाम		
३	विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम		
४	विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम		
५	विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम		

८. शैक्षणिक संस्थान की बाहरी दीवार से 100 गज क्षेत्र को अंकित किया जाना चाहिए।

NOTE: शिक्षण संस्थान के १०० गज के दायरे को "तम्बाकू मुक्त क्षेत्र" ऐसे लिखे पिले रंग से रेखांकित करे। स्कूल के बच्चों, स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षकों के साथ रेखांकित सीमा के साथ स्कूल का नाम दिखाई दे ऐसा फोटो ले।



९. तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान शैक्षणिक संस्थान के 100 गज में नहीं होनी चाहिए।

NOTE: अगर कोई शिक्षण संस्थान के १०० गज के दायरे में कोई तम्बाकू उत्पाद बेचनेवाली दुकान है, तो उसके बारे में अपने BEO को सूचित करे, ताकि BEO ऐसे स्कूलों की सूची SHO को दे और SHO वह सूची देकर, DM, DEO, SP के द्वारा उन दुकानों पर कानूनन कारवाई कर सके।



घोषणापत्र तम्बाकू मुक्त स्कूल परिसर

हमारा _____ शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक तम्बाकू मुक्त स्कूल अभियान चला रहा है। इसके अनुसार, शिक्षण संस्थान के १०० गज के दायरे में सिगरेट या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई भी दुकान नहीं है।

COTPA कानून, कलम ६ के अनुसार किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के बिक्री पर सख्त मनाई है।

मुख्याध्यापक,
हस्ताक्षर और स्टाम्प



धन्यवाद